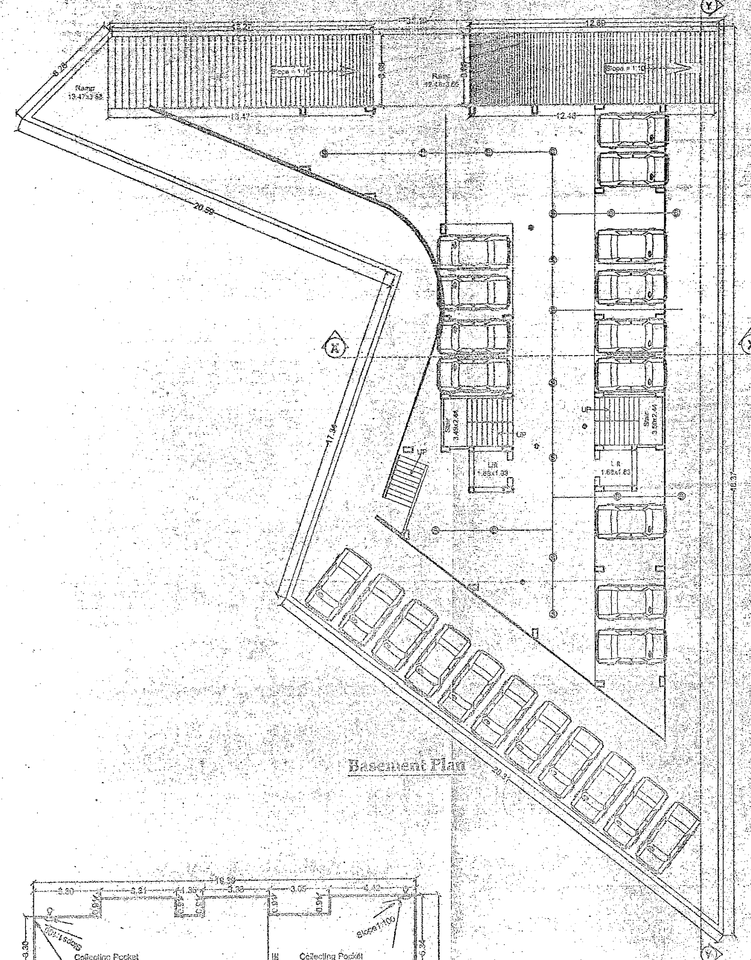

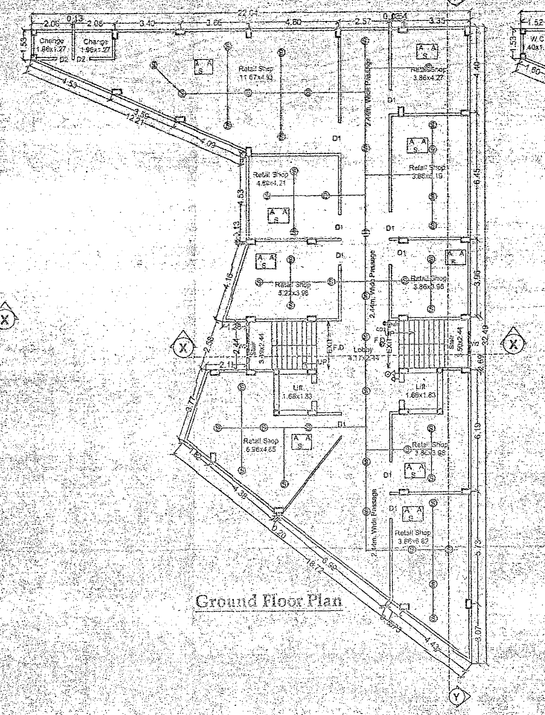

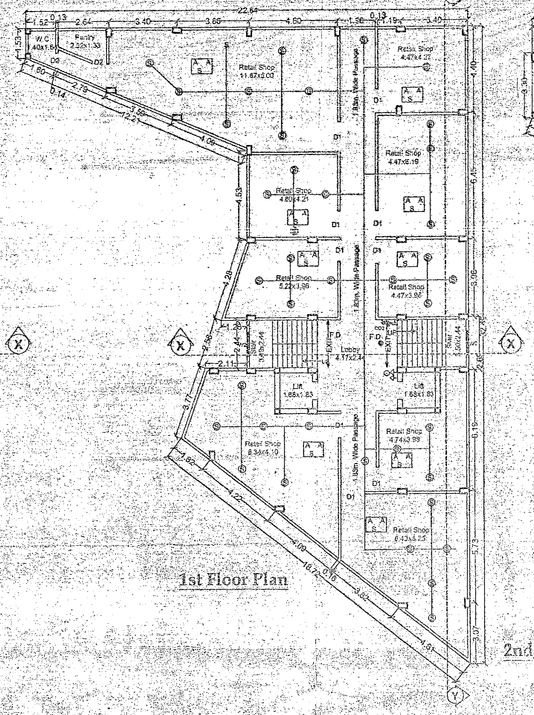

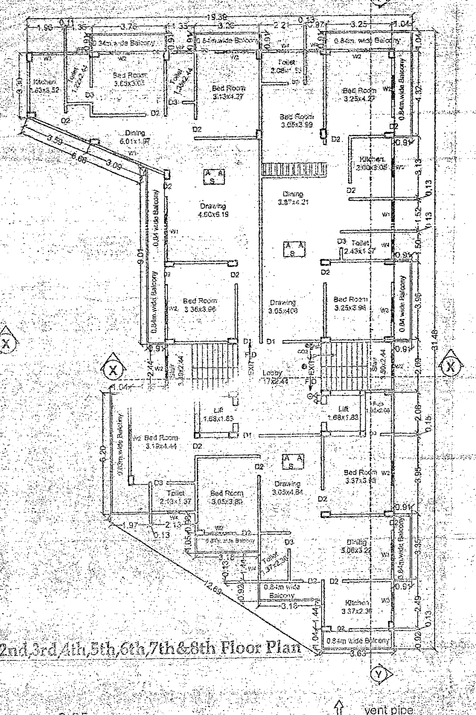

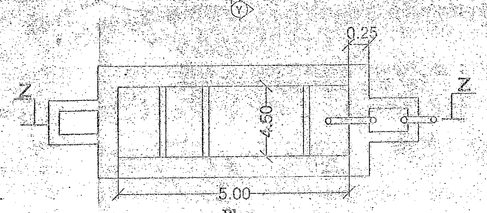

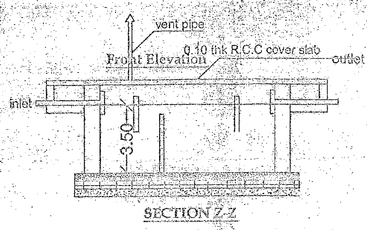

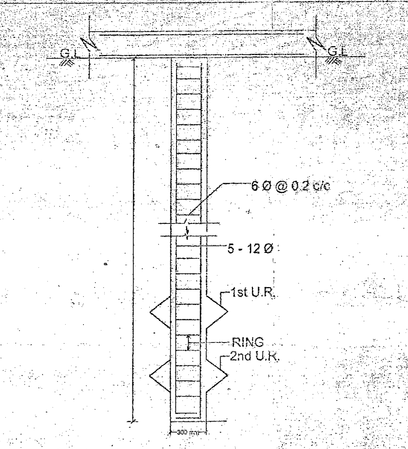

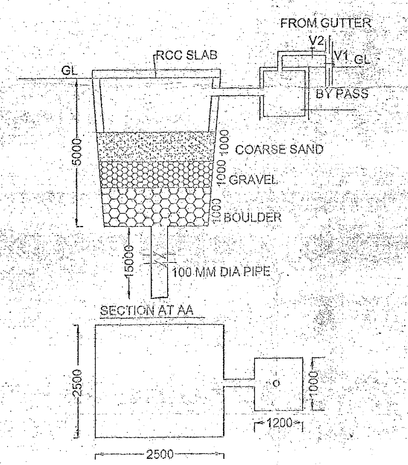

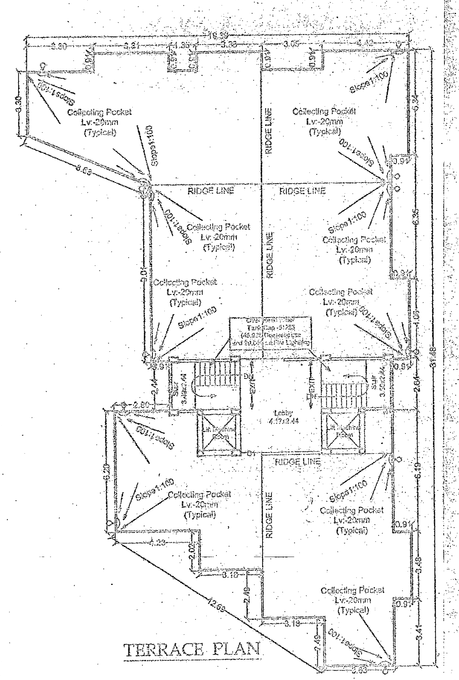
RIDGE LINE
ROOF LINE
Collecting Pocket Lx-20mm Lx-20mm (Typical)
Stone Filling
Collecting Pocket Lx-20mm (Typical)
Stone Filling
Collecting Pocket Lx-20mm (Typical)
Stone Filling
Collecting Pocket

पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार

(बिहार सरकार का उपक्रम)
पाँचवां तल्ला, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड
पटना का मुख्यालय भवन, हॉस्पीटल रोड,
शास्त्रीनगर, पटना - 800023

सं0सं0– PMAA/ PRN /$\frac{Badalpura}{Danapur}$/B+G+8/22/2017 – 15 पटना, दिनांक– 12/07/2018

प्रेषक,

प्रभारी निदेशक,
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार,
बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री नवरत्न लाल,
बदलपुरा, दानापुर,
पटना।

विषयः– प्लान केस संख्या– PMAA/ PRN /$\frac{Badalpura}{Danapur}$/B+G+8/22/2017 **की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

आपके आवेदन सं0:– PMAA/ PRN /$\frac{Badalpura}{Danapur}$/B+G+8/22/2017, दिनांक–13/09/2017, के संदर्भ में श्री नवरत्न लाल, मौजा–बदलपुरा, थाना–दानापुर, पटना, (बिहार) के भवन निर्माण के लिए पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार/आयोजना स्कीम के मौजा–बदलपुरा, थाना–दानापुर, थाना संख्या–52, के सर्वे प्लॉट संख्या–454, 455(अंश), पर आवासीय–सह–व्यवसायिक भवन के स्वीकृतार्थ नक्शा के बारे में निम्नलिखित शर्तो/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

1. भूमि/भवन का उपयोग अन्य रूप से आवासीय–सह–व्यवसायिक प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
2. विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
3. अनुमोदन योजना में दर्शाया गया 874.07 वर्गमीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा। बेसमेंट में **Ventilation** हेतु समुचित व्यवस्था बिहार भवन उपविधि के आलोक में प्रावधान करना होगा।
4. प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
5. अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षो की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
6. इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड़ जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो के अधिकार हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

7. योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू–अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी ।
8. भू–स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेदारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर–फेर/ कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
9. बिहार भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली 2017 की शर्तो के अधीन राज्य में गठित भू–सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन अनिवार्य होगा।
10. निर्माणकर्ता को प्राधिकार के विनिर्देशो के अनुसार मल जल निकास, सड़क आदि जैसे संयोजन स्थल पर और स्थल के बाहर आधारभूत संरचना का बिहार भवन उपविधि 8(5) के आलोक में विकास करना होगा।
11. समय–समय पर सरकार द्वारा निर्गत आदेशों एवं नीतियों का विस्तृत रूप में पालन करना अनिवार्य होगा।
12. Rainwater Harvesting का प्रावधान निश्चित रूप से करना होगा।
13. 10 % **Green area** का प्रावधान निश्चित रूप से करना होगा।

विश्वासभाजन,

सहायक अभियंता
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार

प्रभारी निदेशक, 13-7.18
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार,
पटना।

प्रभारी निदेशक
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार